समाहरणालय, सहरसा

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा

बाढ आपदा एवं अग्निकांड से निपटने एवं बचाव कार्य के लिये सहरसा जिले में पॉलीथीन सीट्स की आवश्यकता है। पॉलीथीन सीट्स क्रय हेतु DGS&D द्वारा निर्धारित Rate Contract संख्या–POLYSHEET/HW-2/RC-H6010000/0915/42/02015/532 Dated-09-Sep-14 के आलोक में दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

निविदादाताओं को मो0–20,000 (बीस हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, सहरसा के नाम से विकलनीय होंगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 22.01.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सहरसा के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

पॉलीथीन सीट्स का विवरण

क्र0 सं0	आकार	आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का नाम	गुणवत्ता	दर
1	4mX5m	पॉलीथीन सीट्स	Low density Polyethylene फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron (ISI) Black sheets	DGS&D द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप (सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित)

निविदा की आवश्यक शर्त्ते :–

1. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन सीट्स की आपूर्त्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/ TIN नम्बर/ अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/ फर्म की अनुज्ञप्ति/ अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/ काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. आपूरित पॉलीथीन सीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
9. आपूत्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा (समाहरणालय, सहरसा) में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रबाई की जा सकती है। साथ ही दण्ड राशि (Penalty) की भी कटौति की जायेगी।
10. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
11. आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैद्यानिक कटौतियों के उपरांत लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान क्रिया जायेगा।
12. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, सहरसा के अधीन होगा। विशेष जानकारी आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सहरसा जिला से अथवा वेबसाईट Saharsa.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

31.1.14

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।